छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर अटल नगर ,दिनांक 30/06/2023

क्रमांक/86/04/योजना/बीओसी/2023/ 1444 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए **छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19.04.2023** में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना"** बनाती है :–

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना" होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निकटतम कार्य स्थल तक आने–जाने की सुविधा सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रतिपूर्ति राशि दी जावेगी।

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. योजना के अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि0मी0 तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मंथली सीजन टिकट कार्ड (MST) मंडल द्वारा परिवहन विभाग एवं रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा उस अवधि हेतु निर्धारित दर पर हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा।

(घ) योजना हेतु पात्रता :–

1. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो।
2. यदि कोई श्रमिक राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
3. योजना प्रारंभ के पश्चात् MST जारी होने के 03 माह के भीतर लाभ देय होगा।

निरंतर...2

(ङ.) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल cglabour.nic.in / श्रमेव जयते मोबाईल एप / किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय / विकासखण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. **योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :—**

   2.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।

   2.2 हितग्राही के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति।

   2.3 हितग्राही के बैंक पास बुक की मूल स्कैन प्रति।

   2.4 MST कार्ड की स्कैन प्रति।

टीप :—**ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।**

(च) स्वीकृति का अधिकार :—

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(छ) भुगतान की प्रक्रिया :—

योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित प्रतिपूर्ति राशि आरटीजीएस / एनईएफटी / डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी।

(ज) विसंगति का निराकरण :—

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में **सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।**

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 01.05.2023 से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक / 86 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 1323-1339 नवा रायपुर, दिनांक 30.06.23

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

निरंतर...3

2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला–कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त, उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर